

नोटिस

विषय : फार्म मिसिंग के सम्बन्ध में

केन्द्रीय बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश नियमावली, 1957 के नियम -8 के उपनियम - (13) के प्राविधानों के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यापारी जिन्हें निम्न क्रमांक के फार्म-सी, वाणिज्य कर कार्यालय से जारी किये गये थे अथवा ऐसे व्यापारी को क्रेता व्यापारियों से भरे हुए प्राप्त हुए थे, खो जाने / नष्ट हो जाने अथवा चोरी हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुयी है। किसी भी व्यापारी द्वारा इसका प्रयोग अवैध होगा:-

क्र० सं०	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म का प्रकार/ संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1-	सर्वश्री महावीर प्रसाद, शिव कुमार, बडा बाजार, शामली ।	फार्म - 'सी' सीरीज -U.P.S.T./ 93 संख्या -0122472 से 0122486 तक	रास्ते में बैग खोने के कारण	15
2-	सर्वश्री मोनेट शुगर लिमिटेड, ऊन, शामली ।	फार्म - 'सी', संख्या- 0483683 एवं 1007674 से 1007679 तक 1007681 से 1007683 तक 1007690 से 1007691 तक	खोने के कारण	01 06 03 02
3-	मेसर्स ए0एफ0 ट्रेडिंग कारपोरेशन, 59, तैय्यव कालोनी, सर सैय्यद नगर, अलीगढ़ ।	फार्म - 'सी' संख्या- 1642997	खोने के कारण	01
4-	सर्वश्री मनीष इण्टरनेशनल, रघुवीरपुरी, अलीगढ़ ।	फार्म - 'सी' संख्या- 09- 0104040	खोने के कारण	01
5-	मे0 बेतवा कन्सट्रक्शन कम्पनी, 18, खण्डेराव - जालौन ।	फार्म - 'सी' सीरीज- यू.पी.एस.टी.-93 संख्या- 1347951	रास्ते में बैग सहित खोने के कारण	01
6-	सर्वश्री अमरनाथ एण्ड कम्पनी, 13 बी, नई मण्डी मुजफ्फरनगर ।	फार्म - 'सी' संख्या- 26- 2440538 से 2440542 तक	खोने के कारण	05
7-	सर्वश्री जय इन्जी0 वर्क्स, इण्ड0 स्टेट, अलीगढ़	फार्म - 'सी' संख्या- 1077703	खोने के कारण	01
8-	अनुज ट्रेडिंग क0, खैर नगर, मेरठ	फार्म - 'सी' संख्या- 595098, 595099, 595100, 595101, 595102	खोने के कारण	05
9-	सर्वश्री भारद्वाज मेडिकोज, सी0बी0गुप्ता कालोनी, शामली ।	फार्म - 'सी' संख्या- 0838028	खोने के कारण	01

(डा0 आर० के० सिंह)

एडीशनल कमिशनर (विधि)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें ।
- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ ।

- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, 30प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 4- समस्त आयुक्त व्यापार कर/ वैट/ वाणिज्य कर / आबकारी एवं कराधान आयुक्त, भारत सरकार के सभी राज्य एवं केन्द्र शासित संघों को।
- 5- महालेखाकार, 30प्र0 171-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद।
- 6- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 7- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 8- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/अपील)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 10- ज्वाइन्ट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर इलाहाबाद, लखनऊ।
- 11- समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों।
- 12- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय।
- 13- सूचना केन्द्र को 5 अतिरिक्त प्रतियाँ।
- 14- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को 5 प्रतियाँ एवं विधि अनुभाग को 15 अतिरिक्त प्रतियाँ।



(सुशील कुमार दुबे)

असिस्टेन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, मुख्यालय।